

रिपोर्टिंग प्रणाली . शिक्षा विभाग के लिए

स्तर	विवरण	समय—सीमा
स्कूल / कॉलेज	<ul style="list-style-type: none"> शिक्षा विभाग के सभी सरकारी विद्यालय पी.ई.ओ. को रिपोर्टिंग प्रपत्र जमा करायें। निजी विद्यालय, मदरसा, माँ-बाड़ी केन्द्र, केन्द्रीय विद्यालय कॉलेज, तकनीकी संस्थान एवं नवोदय विद्यालय सम्बन्धित बी.ई. ओ. को रिपोर्टिंग प्रपत्र जमा करें। सभी विद्यालय अध्यापक हैंडआउट के साथ दिये गये रिपोर्टिंग प्रपत्र में आंकड़े भरकर उसकी एक प्रति अपने विद्यालय पर रखें और मूल प्रति पी.ई.ओ./बी.ई.ओ. को रिपोर्टिंग के लिए भेज दें। 	23 अगस्त, 2019 तक
पी.ई.ओ.	<ul style="list-style-type: none"> विद्यालयों से प्राप्त रिपोर्टिंग प्रपत्रों को एकत्रित करके सम्बन्धित बी.ई.ओ.को जमा करें। 	28 अगस्त, 2019 तक
बी.ई. ओ. (ब्लॉक)	<ul style="list-style-type: none"> पी.ई.ओ.,निजी विद्यालय, मदरसा, माँ-बाड़ी केन्द्र, केन्द्रीय विद्यालय, कॉलेज, तकनीकी संस्थान एवं नवोदय विद्यालय से प्राप्त रिपोर्टिंग प्रपत्रों को निर्धारित एन.डी.डी. प्रपत्र में संकलित करके बी.सी.एम. ओ के पास जमा करें ताकि आंकड़ों को NDD mobile/Web application में इन्द्राज किया जा सके। 	5 सितम्बर, 2019 तक
बी. सी. एम. ओ	<ul style="list-style-type: none"> बी. ई. ओ. से प्राप्त आंकड़ों को निर्धारित NDD mobile/Web application में इन्द्राज करके एन.डी.डी. प्रपत्र में संकलित करके जिला स्तर पर डेपुटी CMHOs को जमा करें। 	16 सितम्बर, 2019 तक
डेपुटी CMHOs	<ul style="list-style-type: none"> बी.सी.एम.ओ से प्राप्त आंकड़ों को निर्धारित NDD mobile/Web application में सत्यापित कर राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी को जमा करें। 	23 सितम्बर, 2019 तक